न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस
प्रकरण सं. 43/13/टीआई

1. रेखाराम
2. पेमा राम

पुत्रगण भूरा राम जाति जाट निवासी गण ढाणी खुद तन बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

प्रार्थीगण

ब ना म

1. पोखर मल पुत्र श्री भूराराम जाति जाट निवासी ढाणी खुद तन बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. राजस्थान ग्रामीण बैंक बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा बाय
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. पटवारी, पटवार हल्का, बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. रूकमा देवी पत्नी दीपाराम जाति जाट निवासी बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री मूलचन्द धायल वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत, वकील अप्रार्थी सं. 1 व 6 की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.04.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण व अनावेदक सं. 1 की कब्जे काश्त व खातेदारी शुदा भूमि खसरा नं. 794 रकबा 0.28 है0, 908 रकबा 1.76 है0 किता 2 कुल रकबा 2.04 है. वाके ग्राम बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। आवेदकगण व अनावेदकगण के मध्य उपरोक्त वर्णित कृषि संपदा का बंटवारा बाहमी तौर पर दिनांक 24.5.2012 को हो चुका है जिसके अनुसार आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है। अनावेदक सं. 1 भूमाफिया गिरोह के संपर्क में है जो पारिवारिक बंटवारा से भिन्न भूमि पर कब्जा काश्त करने की दखलदांजी करने की धमकी देने तथा राजस्व कैम्प में उपस्थित होकर मुताबिक बाहमी बंटवारानामा तस्दीक करवाने से मना करने पर आमादा है इसलिए उपरोक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा विधिवत रूप से करवाया जाना

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

न्यायसंगत है। अनावेदक सं. 1 ने धमकी दी कि अनावेदक सं. 1 ता 5 मेरे मिलने वाले है। आपको आपकी कब्जा व काश्तशुदा जमीन से बेदखल कर अच्छी किस्म की बहुमूल्य भूमि पर कब्जा कर दीगर व्यक्तियों को विक्रय करूंगा। आपको जो करना है वो कर लों। इस तरह यदि अनावेदक सं. 1 अपने कुउद्देश्य में सफल हो गया तो आवेदकगण के सांपतिक अधिकारों का हनन होगा व अनावश्यक मुकदमेंबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा फलस्वरूप विवादास्पद भूमियों का पक्षकारान के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर अनावेदकगण को आवेदकगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करने, किसी भी प्रकार से सींव नींव तोड़कर खुर्द बुर्द करने, पेड़ पौधे काटने व अन्य किसी भी प्रकार से मौका स्थिति में परिवर्तन करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण का सुदृढ है एवं सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने से विवादग्रस्त शामलाती संपदा का अनावेदकगण द्वारा विधिवत बंटवारा नहीं करवाने व बाहमी बंटवारे की भूमि से अनावेदकगण को जबरन बेदखल करने से अपूर्तनीय क्षति भी स्वयं आवेदकगण को ही होती है। ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना अति आवश्यक व न्यायोचित है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित भूमि खसरा नं. 794 रकबा 0.28 है0 एवं 908 रकबा 1.76 है. किता 2 कुल रकबा 2.04 है. तन ग्राम बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का मौके पर बाहमी बंटवारा दिनांक 24.05.2012 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा करते हुए अलग अलग खाता, कब्जा व सींव नींव निर्धारित की जाकर अलग अलग लगान निर्धारित कर रिकार्ड जमाबंदी में अंकन होने से पूर्व किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करने, रहन, बेचान एवं हस्तांतरित करने, पेड़ पौधे काटने, किसी भी प्रकार का नव निर्माण करने, मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने आदि से मय अपने नौकर एजेंट आदि बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 5 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 6 रूकमादेवी पत्नी दीपाराम जाति जाट नि. बाज्यावास द्वारा जरिये वकील आवेदन अं.धारा 1 नियम 10 सीपीसी पेश होने पर स्वीकार होने पर अप्रार्थी सं. 6 के तोर पर पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 6 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई। वकील अप्रार्थी सं. 1 व 6 ने आवेदन का बिन्दुार जवाब पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2065–68 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण पेमा, रेखा हि. 2/3 एवं अनावेदक सं. 1 पोखर हि. 1/3 तथा अनावेदक सं. 1 के हि. 1/3

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

में से अनावेदक सं. 6 रूकमादेवी धर्मपत्नी दीपाराम हि. 10/69 जरिये ना.करण सं. 244 दिनांक 08.02.2013 का नाम बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 1 तीनों सगे भाई है तथा तीनों के नाम से हिस्सा 1/3 बराबर खातेदारी वादग्रस्त भूमियों की राजस्व रिकार्ड में नाम विधिवत रूप से दर्ज है। आवेदकगण के भाई अनावेदक सं. 1 पोखरमल ने अपनी पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये वादग्रस्त भूमियों में से अपने हिस्सा 1/3 में से हि. 10/23 हि. यानि संपूर्ण 10/69 हिस्से का बेचान दिनांक 30.01.2013 को अनावेदक सं. 6 रूकमादेवी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया जाकर कब्जा रूकमादेवी को संभला दिया था। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 पोखरमल वादग्रस्त भूमियों में हि. 1/3 का रिकार्डेड खातेदार है इसलिये उसे अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिवादी सं. 1 पोखरमल ने बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि में से ही केती रूकमादेवी को 0.2550 है0 भूमि जिसके उतर में आम सड़क, दक्षिण में सुगनसिंह की भूमि, पूरब में विकेता की भूमि, पश्चिम में मौके पर आम कच्चा रास्ता अवस्थित भूमि का कब्जा संभलाया था जिस पर वर्तमान में प्रतिवादी सं. 6 रूकमादेवी शांतिपूर्वक काबिज है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी केती रूकमादेवी की खातेदारी जरिये ना.करा सं. 244 दिनांक 08.02.2013 को विधिवत रूप से दर्ज हो चुकी है तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 6 वादग्रस्त भूमियों के सहखातेदार एवं रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 6 ने प्रतिवादी सं. 1 से विकीत भूमि की प्रतिफल राशि अदाकर अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवाई है तथा विकेता से कब्जा प्राप्त किया है तथा वह सद्भाविक केता है। इसलिए कानूनी रूप से रिकार्डेड खातेदार एवं सदभाविक केता के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादीगण स्वयं वाद पत्र में पूर्व खातेदारों के बीच बाहमी बंटवारा दिनांक 24.05.2012 होना स्वीकार करते है इसलिए वादग्रस्त भूमियों का पुनः बंटवारा किया जाना कतई आवश्यक एवं न्यायसंगत नहीं है। वादीगण ने उतरदातागण को हैरान परेशान करने के लिए गलत, काल्पनिक आधारहीन, मनघड़न्त आधारों पर दावा एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज होने योग्य है। आवेदकगण का आवेदन मय विशेष हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाने की कृपा करें।

3. उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवेदन की मद सं. 1 में वर्णित विवादित आराजियात भूमि ख.नं. 794 व 908 किता 2 कुल रकबा 2.04 है0 ग्राम बाज्यावास में अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि संपदा का बंटवारा बाहमी तौर पर दिनांक 24.5.2012 को हो चुका है जिसके अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है। आवेदक सं. 1 भूमाफिया गिरोह के संपर्क में है जो पारिवारिक बंटवारा से भिन्न भूमि पर कब्जा काश्त करने की दखलदांजी करने की

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

धमकी देने तथा राजस्व कैमप में मुताबिक बाहमी बंटवारा नामा तस्दीक करवाने से मना करने पर आमादा है। अनावेदक सं. 1 ने बाहमी बंटवारे में आई भूमियों से भिन्न भूमियों का बेचान अजनबी व्यक्तियों को किये जाने पर आमदा है। अनावेदक सं. 1 अपने कुउद्देश्य में सफल हो गया तो आवेदकगण के सांपतिक अधिकारें का हनन होगा। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण का सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने से विवादग्रस्त शामलाती संपदा का अनावेदक द्वारा विधिवत बंटवारा नहीं करवाने व बाहमी बंटवारे की भूमि से अनावेदक को जबरन बेदखल करने से अपूर्तनीय क्षति भी स्वयं आवेदकगण को ही होती है। ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 5 का का 1/3 हि0 है तथा प्रार्थी का 1/18 हि. दर्ज है शेष हिस्सा अप्रार्थी सं. 8 ता 12 है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है। विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। संयुक्त खातेदारी की भूमि को बिना बंटवारा सहखातेदार द्वारा बेचान नहीं किया जा सकता है यदि बेचान हो भी जाता है तो विधिवत बंटवारा तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावें। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को होगी इसलिए अप्रार्थीगण को तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1996 पेज 148 देवीलाल उर्फ देव शंकर व अन्य बनाम कमला शंकर व अन्य एवं आरआरडी 1999 पेज 472 दामोदर प्रसाद बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य की नजीरें पेश की गई।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं. 1 व 6 ने बहस के दौरान जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने हिस्से 1/3 एवं बाहमी बंटवारे में आई भूमि में से 10/23 हि. यानि संपूर्ण में से 10/69 हिस्से का बेचान दिनांक 30.01.2013 को अनावेदक सं. 6 रूकमादेवी को बतौर प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रीत भूमि का कब्जा संभला दिया था। प्रतिवादी सं. 1 पोखरमल वादग्रस्त भूमियों में हिस्सा 1/3 का रिकार्डेड खातेदार है इसलिए उसे अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि में से ही क्रेता रूकमादेवी को 0.2550 है0 भूमि जिसके उतर में आम सड़क, दक्षिण में सुगनसिंह की भूमि, पूर्व में विक्रेता की भूमि, पश्चिम में मौके पर आम कच्चा रास्ता पर अवस्थित भूमि का कब्जा संभलाया था जिस पर वर्तमान में प्रतिवादी सं. 6 रूकमादेवी शांतिपूर्वक काबिज है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदही में भी क्रेता रूकमादेवी की खातेदारी जरिये ना.करण सं. 244 दिनांक 08.02.2013 को विधिवत रूप से दर्ज हो चुका है तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 6 वादग्रस्त भूमियों के सहखातेदार एवं रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। वादीगण स्वयं वाद पत्र में पूर्व खातेदारें के बीच बाहमी बंटवारा दिनांक 24.5.2012 होना स्वीकार करते है इसलिए वादग्रस्त भूमियों

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

का पुनः बंटवारा किया जाना कतई आवश्यक एवं न्यायसंगत नहीं है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 1 व 6 के पक्ष में है तथा अप्रार्थी गण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी गण को ही होगी। इसलिए आवेदन स्थगन खारिज फरमाया जावें। अपने जवाब के समर्थन में आरआरडी नवम्बर, 2003 पेज 540 महेन्द्रसिंह उर्फ नवीन चोधरी बनाम गीतादेवी की नजीर पेश की गई है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम बाज्यावास की जमाबंदी संवत् 2065–68 जो वकील प्रार्थीगण के द्वारा पेश की गई है एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी जो आवेदन जवाब के साथ पेश की गई है, के अवलोकन से विदित है कि ना.करण सं. 244 दिनांक 08.02.2013 से पोखरमल पुत्र भूराराम ख.नं. 908 में हि. 1/3 के बजाय रूकमादेवी धर्मपत्नी दीपाराम हि. 10/69 स्वीकार हुआ शेष पोखरमल हि. 13/69 शेष खाता बदस्तूर है। उक्त जमाबंदी से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद हो चुका है तथा केता वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार हो चुका है। चूंकि अभी तक विवादित आराजियात का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने हिस्से 1/3 में से हि. 10/69 का बेचान किया गया है तथा केता द्वारा कय की गई भूमि का अमल होने से वह अनजान केता की श्रेणी में नहीं आता हैं अन्य सहखातेदारान के समान उन्हें अधिकार प्राप्त हो चुके है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर में यह उल्लेख किया गया है कि "एक सह–कृषक द्वारा कोई निश्चित भूभाग का विकय कर देने के पश्चात् एवं कयकर्ता को आराजी में प्रवेश कर लेने के पश्चात् भी उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।" विचाराधीन प्रकरण में सहखातेदार द्वारा अपने हिस्से में से भूमि का बेचान किये जाने के पश्चात् ना.करण सं. 244 के द्वारा राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अमल दरामद हो चुका है एवं केता अन्य सहखातेदार के समान अधिकार रखता है। प्रस्तुत नजीरें में रिकार्डेड खातेदार होने पर क्या स्थिति रहती है, का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर में यह उल्लेख किया गया है कि " दावा दायरी के दिन अप्रार्थीया रेकार्डेड खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है और रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस दृष्टि से राजस्व अपील अधिकारी, नागौर का निर्णय उचित है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं पाई जाती।" इस प्रकार अप्रार्थी सं. 6 वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार साबित है एवं उक्त नजीर के अनुसार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 1 व 6 के पक्ष में साबित है तथा अपूर्तनीय क्षति

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

भी अप्रार्थीगण को होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन स्थगन खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. यह निर्णय आज दिनांक 11.04.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़